(क) क्या सरकार को जेलों में बंद अपराधियों द्वारा मोबाइल इस्तेमाल करने की जानकारी है;

(ख) क्या हाल ही में जयपुर केन्द्रीय कारागार तथा राजस्थान की कई अन्य जेलों में तलाशी अभियान छेड़ा गया था;

(ग) यदि हाँ, तो तलाशी में कितने मोबाइल फोन मिले;

(घ) जेल अधिनियम, 1958 के तहत जेल में किन-किन वस्तुओं को ले जाने की पाबंदी है; और

(ड.) क्या केन्द्रीय सरकार के पास देश की सभी जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग की जानकारी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) से (ग) : दिनांक 28-29 फरवरी 2012 और 1 मार्च 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा सभी जेलों में चलाए गए तलाशी अभियानों के दौरान निम्नलिखित जेलों में 93 मोबाइल फोन और 64 सिम कार्ड पाए गए हैं :-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **जेल** | **मोबाइल** | **सिम** |
| **1** | **केंद्रीय जेल, जयपुर** | **5** | **8** |
| **2** | **उप जेल, कोट पूतली** | **4** | **5** |
| **3** | **केंद्रीय जेल, जोधपुर** | **35** | **13** |
| **4** | **केंद्रीय जेल, उदयपुर** | **13** | **13** |
| **5** | **केंद्रीय जेल, भरतपुर** | **21** | **0** |
| **6** | **केंद्रीय जेल बीकानेर** | **0** | **3** |
| **7** | **केंद्रीय जेल, श्री गंगानगर** | **11** | **8** |
| **8** | **केंद्रीय जेल, कोटा** | **2** | **0** |
| **9** | **जिला जेल राजसमंद** | **0** | **1** |
| **10** | **जिला जेल, झालावाड़** | **1** | **4** |
| **11** | **जिला जेल, नागौर** | **1** | **0** |
| **12** | **केंद्रीय जेल अजमेर** | **0** | **8** |
| **13** | **जिला जेल, सीकर** | **0** | **1** |
|  | **कुल** | **93** | **64** |

**(घ) : राजस्थान कारागार नियमावली, 1951 के अनुसार, कारागारों में निम्नलिखित वस्तुएँ ले जाना प्रतिबंधित है:**

**(i) अल्कोहल अथवा किसी भी प्रकार के स्प्रिट लिकर, (ii) तम्बाकू, पाइप, सिगार इत्यादि जैसे धूम्रपान, चबाने अथवा सूँघने जैसे पदार्थ, (iii) गांजा, अफीम अथवा अन्य मादक अथवा जहरीला पदार्थ (iv) जहरीले पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ अथवा अन्य ध्वंसात्मक पदार्थ (v) धन मुद्रा, नोट, बहुमूल्य वस्तुएँ, किसी भी तरह के जेवर अथवा आभूषण (vi) पुस्तकें, मुद्रित वस्तुएँ, किसी भी प्रकार का पत्र अथवा लिखने की सामग्री जिसकी अधीक्षक ने विशेष रुप से अनुमति प्रदान नहीं की है (vi) चाकू, हथियार, रस्सी, डोर, बाँस, सीढ़ी, छड़ अथवा बचकर भाग निकलने में काम आ सकने वाली कोई अन्य वस्तु (viii)ऐसी कोई वस्तु जो कैदियों के उपयोग के लिए जेल स्टोर और आपूर्ति द्वारा जारी नहीं की गई है।**

**(ड.) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के अनुसार “कारागार” राज्य का विषय है। अत: कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन प्राथमिक रुप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तदनुसार, भ्रष्टाचार, अपराधियों के साथ साँठगाँठ आदि सहित कारागारों से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने दिनांक 07-06-2010 को कारागारों में मोबाइल फोनों के प्रयोग पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुपालन के लिए एक विशेष परामर्शी-पत्र जारी किया है।**